भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3628

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)को दिया गया

ओडिशा मे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकित लाभार्थी

†3628. डॉ. संबित पात्रा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत ओडिशा सहित विशेषकर पुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लिंग-वार, खाता-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने लाभार्थियों का नामांकन किया गया है और उनका योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख)ओडिशा में विशेषकर पुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की शुरुआत से लेकर अब तक कुल कितने दावों का निपटान किया गया है और कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ग) क्या कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने में इन योजनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, नामांकन में सुधार करने और बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ओडिशा में इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों को शामिल किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत पुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या का लिंग-वार,राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-क और ख** में दिया गया है।

(ख) **अनुबंध-ग** के अनुसार।

(ग) जी, हां। नीति आयोग द्वारा पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के संबंध में प्रभाव का आकलन किया गया है, जिसमें इन योजनाओं को कमजोर लोगों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा नेट के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि ये कम आय वाले उपयोगकर्ताओं के लिए प्रथम बीमा था, जो मृत्यु या निशक्तता की स्थिति में तत्काल राहत प्रदान करता है।

(घ) भारत सरकार, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता और कवरेज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

i. ओडिशा राज्य सहित देश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत नियमित नामांकन अभियान बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ इन योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता को बढ़ावा देने और नामांकन बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

ii. वर्ष 2024 में, दिनांक 16.10.2024 से दिनांक 15.01.2025 तक तीन माह का अभियान चलाया गया। दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक देश भर में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में चार माह का "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नामांकन बढ़ाना, लंबित दावों को कम करना और पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में लाभार्थियों को लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करना था। इन दो जनसुरक्षा योजनाओं में परिपूर्णता प्राप्ति के लिए, बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शिविर आयोजित किए गए, जिससे निवासियों को योजना में नामांकन के लिए सूचना और सहायता तक सीधी पहुंच प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और भागीदारी में सुधार करना, त्वरित नामांकन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अंतराल को पाटने में सहायता करना था। अखिल भारतीय स्तर पर बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी)/प्रमुख जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के समन्वय से एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

iii. आईआरडीएआई ने राज्य सरकार, बीमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्य बीमा योजना (एसआईपी) पहल शुरू की है, ताकि बीमा की पहुँच में सुधार, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच को सुदृढ़ करने और स्थानीय सुरक्षा अंतराल को कम करने के लिए राज्य-विशिष्ट कार्यनीतियों को विकसित किया जा सके।

iv. पात्र लाभार्थियों के बीच एपीवाई का प्रचार करने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधि(बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टाफ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की बैंक-सखियों के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

v. आबंटित वार्षिक लक्ष्यों के संदर्भ में बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी)/बैंकों के राज्य समन्वयकों/अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की नियमित निगरानी की जाती है।

(ङ): ऐसे किसी आंकड़े का रखरखाव नहीं किया जाता है।

अनुबंध-क

"ओडिशा मे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 10.8.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3628 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 22.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अतंर्गत राज्यवार लिंगवार संचयी नामांकन										
	पीएमजेजेबीवाई					पीएमएसबीवाई				
राज्य का नाम	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	अन्य*	संचयी नामांकन	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	अन्य*	संचयी नामांकन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	57,321	44,239	253	10	101,823	101,676	80,596	260	15,281	197,813
आंध्र प्रदेश	6,943,768	8,364,451	12,346	19,522,570	34,843,135	15,350,920	16,926,532	27,268	26,000,684	58,305,404
अरुणाचल प्रदेश	137,951	144,361	494	13,805	296,611	263,126	261,810	515	1,265	526,716
असम	2,353,750	3,854,796	5,862	149,666	6,364,074	6,560,481	8,580,633	6,773	161,980	15,309,867
बिहार	6,990,315	11,619,404	18,829	2,539,033	21,167,581	17,120,945	23,150,883	40,779	345,937	40,658,544
चंडीगढ़	114,496	72,010	400	1,376	188,282	324,899	221,346	987	1,407	548,639
छत्तीसगढ़	3,080,725	4,415,825	6,171	1,457,900	8,960,621	7,436,983	8,567,468	12,577	1,858,547	17,875,575
दादरा और नगर हवेली	120,387	53,264	108	1,306	175,065	222,778	91,959	164	9,627	324,528
दिल्ली	1,508,866	1,291,248	4,124	22,168	2,826,406	4,225,101	3,339,186	10,538	567	7,575,392
गोवा	229,500	183,592	272	1,559	414,923	494,152	382,479	594	11,880	889,105
गुजरात	6,283,270	4,608,099	10,136	350,906	11,252,411	13,327,795	9,402,937	17,724	693,833	23,442,289
हरियाणा	3,046,075	2,524,142	5,647	191,517	5,767,381	7,664,443	5,825,955	13,119	20,781	13,524,298
हिमाचल प्रदेश	804,957	653,415	2,404	73,953	1,534,729	2,045,840	1,554,145	7,892	32,692	3,640,569
जम्मू और कश्मीर	786,894	454,179	1,224	137,136	1,379,433	1,975,692	1,197,634	4,268	29,687	3,207,281
झारखंड	3,285,768	5,191,960	5,723	780,696	9,264,147	7,324,941	9,121,031	11,909	143,607	16,601,488
कर्नाटक	6,540,082	7,260,488	10,057	3,863,266	17,673,893	13,521,543	13,824,800	14,593	243,094	27,604,030
केरल	1,669,911	1,890,155	3,192	1,316,601	4,879,859	6,008,155	6,683,280	7,343	280,390	12,979,168
लद्दाख	32,212	13,250	77	848	46,387	61,485	29,383	173	0	91,041
लक्षद्वीप	4,594	2,879	19	106	7,598	11,055	8,340	30	12,352	31,777
मध्य प्रदेश	7,706,426	9,579,667	17,030	423,958	17,727,081	19,456,773	19,708,082	44,880	894,293	40,104,028
महाराष्ट्र	10,027,679	10,293,775	17,607	369,371	20,708,432	23,018,708	20,839,288	30,158	771,669	44,659,823

दिनांक 22.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत राज्यवार लिंगवार संचयी नामांकन										
	पीएमजेजेबीवाई					पीएमएसबीवाई				
राज्य का नाम	**पुरुष**	**महिला**	**ट्रांसजेंडर**	**अन्य***	**संचयी नामांकन**	**पुरुष**	**महिला**	**ट्रांसजेंडर**	**अन्य***	**संचयी नामांकन**
मणिपुर	155,996	210,146	434	99,219	465,795	325,368	420,834	516	1,742	748,460
मेघालय	251,592	389,648	415	15,465	657,120	495,186	636,546	676	0	1,132,408
मिजोरम	197,535	219,285	145	4,667	421,632	302,536	316,307	254	2,911	622,008
नागालैंड	128,995	132,129	223	3,999	265,346	283,659	299,013	332	225	583,229
ओडिशा	**4,416,000**	**6,828,780**	**11,235**	**1,577,429**	**12,833,444**	**11,409,798**	**13,566,521**	**16,310**	**1,176,900**	**26,169,529**
पुरी	**176,428**	**270,916**	**300**	**63,108**	**510,752**	**488,468**	**564,242**	**382**	**122,814**	**1,175,906**
नयागढ़	**85,205**	**177,310**	**139**	**60,026**	**322,680**	**232,386**	**311,721**	**201**	**18,605**	**562,913**
खोरधा	**281,960**	**373,873**	**786**	**52,153**	**708,772**	**822,709**	**822,484**	**1,294**	**173,597**	**1,820,084**
पुडुचेरी यूटी	129,748	166,854	233	21,199	318,034	292,123	330,929	697	55,199	678,948
पंजाब	3,127,528	2,670,393	6,003	49,720	5,853,644	8,542,522	7,140,428	17,018	86,735	15,786,703
राजस्थान	6,957,379	7,293,419	12,003	1,964,559	16,227,360	16,021,991	15,087,135	13,858	316,084	31,439,068
सिक्किम	90,976	81,251	232	2,611	175,070	177,848	147,616	439	1,000	326,903
तमिलनाडु	5,114,931	7,743,290	9,200	371,420	13,238,841	12,694,995	17,026,993	20,248	690,947	30,433,183
तेलंगाना	4,390,302	5,195,911	7,978	104,603	9,698,794	9,525,345	10,003,608	10,642	472,764	20,012,359
त्रिपुरा	328,322	356,295	310	14,806	699,733	850,173	738,172	749	2,600	1,591,694
उत्तर प्रदेश	16,028,486	16,000,850	30,268	3,385,879	35,445,483	44,898,445	39,840,198	140,344	3,332,714	88,211,701
उत्तराखंड	1,050,596	943,277	2,984	47,550	2,044,407	3,219,527	2,649,189	10,106	25,744	5,904,566
पश्चिम बंगाल	6,646,766	9,801,778	22,168	186,013	16,656,725	17,699,334	22,282,891	25,830	141,110	40,149,165
देश कुल	**110,740,099**	**130,548,505**	**225,806**	**39,066,890**	**280,581,300**	**273,256,341**	**280,284,147**	**510,563**	**37,836,248**	**591,887,299**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां

ध्यान दें: 1. अन्य* में आरसीबी/यूसीबी/अभिसरित योजनाओं से नामांकन शामिल हैं, जिनके लिए लिंगवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध-ख

"ओडिशा मे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 10.8.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3628 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत राज्यवार लिंगवार संचयी नामांकन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9,596	7,090	10	16,696
आंध्र प्रदेश	17,98,511	28,09,212	2,320	46,10,043
अरुणाचल प्रदेश	23,214	22,150	13	45,377
असम	9,47,948	13,39,456	476	22,87,880
बिहार	35,41,255	49,93,649	1,110	85,36,014
चंडीगढ़	57,907	35,280	56	93,243
छत्तीसगढ़	8,51,187	9,87,866	322	18,39,375
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38,789	8,950	10	47,749
दिल्ली	6,78,460	4,45,012	577	11,24,049
गोवा	81,632	53,842	64	1,35,538
गुजरात	22,71,741	10,86,880	930	33,59,551
हरियाणा	12,87,497	8,29,533	608	21,17,638
हिमाचल प्रदेश	4,16,057	2,75,560	99	6,91,716
जम्मू और कश्मीर	2,09,861	1,06,101	168	3,16,130
झारखंड	13,04,517	18,29,743	457	31,34,717
कर्नाटक	27,60,859	25,10,470	1,415	52,72,744
केरल	8,58,677	10,00,544	536	18,59,757
लद्दाख	5,255	2,834	12	8,101
लक्षद्वीप	2,513	1,560	7	4,080
मध्य प्रदेश	28,41,556	29,13,243	1,439	57,56,238
महाराष्ट्र	36,40,640	29,17,072	2,480	65,60,192
मणिपुर	38,416	43,522	66	82,004
मेघालय	47,345	59,811	9	1,07,165
मिजोरम	20,286	23,515	9	43,810
नागालैंड	24,661	23,942	9	48,612
ओडिशा	**16,12,776**	**20,54,962**	**919**	**36,68,657**
पुरी	**79,376**	**1,05,354**	**54**	**1,84,784**
नयागढ़	**37,767**	**52,779**	**16**	**90,562**
खोरधा	**1,18,490**	**1,30,047**	**108**	**2,46,645**
पुडुचेरी	52,274	68,215	68	1,20,557
पंजाब	16,39,633	11,52,592	693	27,92,918
राजस्थान	30,70,060	19,24,071	799	49,94,930
सिक्किम	26,965	23,898	29	50,892
तमिलनाडु	25,96,373	34,62,320	3,349	60,62,042
तेलंगाना	13,72,795	15,39,451	1,462	29,13,708
त्रिपुरा	1,58,454	1,97,849	34	3,56,337
उत्तर प्रदेश	91,55,276	62,61,681	4,224	1,54,21,181
उत्तराखंड	6,04,858	3,96,245	273	10,01,376
पश्चिम बंगाल	31,75,147	42,90,012	1,547	74,66,706
कुल	**4,72,22,991**	**4,56,98,133**	**26,599**	**9,29,47,723**

(स्रोत: पीएफआरडीए)

अनुलग्नक-ग

"ओडिशा मे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकित लाभार्थी" के संबंध में दिनांक 10.8.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3628 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 22.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत जिलेवार संचयी दावे और भुगतान

क्र.स.	जिले का नाम	पीएमजेजेबीवाई		पीएमएसबीवाई	
		भुगतान किए गए दावे	भुगतान किए गए दावों में निहित राशि (करोड़ में)	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किए गए दावों में निहित राशि (करोड़ में)
1	पुरी	862	17.24	194	3.88
2	नयागढ़	776	15.52	86	1.72
3	खोरधा	1337	26.74	300	6
4	अनुगुल	10764	215.28	120	2.4
5	बलांगीर	753	15.06	174	3.48
6	बालेश्वर	943	18.86	248	4.96
7	बरगढ़	2125	42.5	112	2.24
8	भद्रक	419	8.38	135	2.7
9	बौध	265	5.3	22	0.44
10	कटक	2082	41.64	329	6.58
11	देवगढ़	205	4.1	17	0.34
12	ढेंकनाल	1217	24.34	217	4.34
13	गजपति	211	4.22	17	0.34
14	गंजम	2427	48.54	189	3.78
15	जगतसिंहपुर	573	11.46	86	1.72
16	जाजापुर	1245	24.9	100	2
17	झारसुगुडा	327	6.54	51	1.02
18	कालाहांडी	455	9.1	36	0.72
19	कंधमाल	237	4.74	34	0.68
20	केंद्रपाड़ा	507	10.14	69	1.38
21	केंदुझार	880	17.6	154	3.08
22	कोरापुट	429	8.58	43	0.86
23	मलकानगिरी	244	4.88	8	0.16
24	मयूरभंज	1503	30.06	144	2.88
25	नबरंगपुर	266	5.32	15	0.3
26	नुआपाडा	332	6.64	24	0.48
27	रायगढ़	534	10.68	16	0.32
28	संबलपुर	949	18.98	193	3.86
29	सोनपुर	231	4.62	34	0.68
30	सुंदरगढ़	910	18.2	121	2.42
राज्य कुल		**34,008**	**680.16**	**3,288**	**65.76**
देश कुल		**1,110,133**	**22,202.66**	**191,338**	**3,800.15**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां
